उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 48/2016

नीतु देवी बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
12-09-2018	**–: आदेश :–** अपीलार्थी नीतू देवी, पति–टुनटुन कुमार, निवास स्थान –ग्राम भूरा कोनर चट्टी, पो0–वजीरगंज, जिला गया (बिहार) (ट्रक मालिक–JH-02N-0663) द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या– 37/2012 में दिनांक 22/07/2016 को पारित आदेश के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52(A) के तहत् अपील दायर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम के प्रतिकूल है। इनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी द्वारा समर्पित साक्ष्य को अंदेखी करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, इन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए, अपील आवेदन को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना, समर्पित कागजातों एवं निम्न न्यायालय में पारित आदेश का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मन्तव्य के साथ वाद का निस्तार किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित 12/9/18 उपायुक्त, रामगढ़। 12/9/18 उपायुक्त, रामगढ़।	624/नि॰लि॰ 22/9/18

Scanned by CamScanner